

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा.दी.)

राजस्व लोक अदालत कैम्प रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी:- सुनीता यादव, आर.ए.एस.

सुकदमा नम्बर :-35/2016 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री रामचन्द्र दास पिता किशनदास बैरागी, उम्र बालिग निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ———वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)

————प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री — एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर श्री — एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 9.5.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि — और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा शि — को दी जायें।

वादी अपने वाद पत्र कराने में असफल रहने के कारण वादी का वादपत्र खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

(सुनीता यादव)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी,

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से वादपत्र खारिज किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा